बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

कार्यालय आदेश —

का0आ0सं0–3/विविध–05/2016 — 37 पटना–15, दिनांक– 19.05.2016

मुख्यमंत्री नवप्रोत्साहन योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन के नियंत्रणाधीन जिला स्तरीय कार्यालयों में नवप्रवर्तन कोषांग का गठन किया जाता है। जिलों में स्थित नियोजनालयों के कार्यालय प्रधान (उप निदेशक (नि0)/सहायक निदेशक (नि0)/नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी) नवप्रर्वतन कोषांग के अध्यक्ष होंगें तथा उनके द्वारा नामित नियोजन सेवा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि उक्त समिति के सदस्य होंगें।

जिला स्तरीय नवप्रवर्तन कोषांग की संरचना निम्नवत् है–

1. जिलों में स्थित नियोजनालयों के कार्यालय प्रधान (उप निदेशक (नि0)/सहायक निदेशक (नि0)/ नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी) – अध्यक्ष
2. क्षेत्र के प्रतिष्ठित एवं अधिक रोजगार प्रदान करने वाले नियोजक – सदस्य
3. नियोजनालय में निबंधित आवेदक (संबंधित पदाधिकारी द्वारा मनोनीत) – सदस्य
4. रोजगार क्षमता विकसित कर अधिक रोजगार प्रदान करने वाले प्रशिक्षण प्रदाता/संस्था (संबंधित पदाधिकारी द्वारा मनोनीत) – सदस्य
5. व्यावसायिक मार्गदर्शक (COUNSELOR) (संबंधित पदाधिकारी द्वारा मनोनीत) – सदस्य
6. उद्यमी (ENTREPRENEUR)(संबंधित पदाधिकारी द्वारा मनोनीत) – सदस्य
7. वित्तीय संस्था (FINANCIAL INSTITUTE) के प्रतिनिधि – सदस्य
8. औद्योगिक/व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि – सदस्य

उक्त कोषांग निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करेगा–

(क) कार्यालय के अंतर्गत नवाचार की पहचान करना तथा ऐसे नवाचारों की सूची का निर्माण करना।
(ख) पहचान किये गये नवाचार का मूल्यांकन करना।
(ग) नवाचार उपयोगी पाये जाने पर विभाग के कार्यक्रमों में उसका उपयोग करना।
(घ) नवाचार के लिए उपर्युक्त वातावरण तैयार करना।
(ड) परिचर्चा, सेमिनार तथा संगोष्ठियों के माध्यम से विभाग के नवप्रवर्तन का प्रचार–प्रसार करना।
(च) विभाग में किये गये नवाचार का प्रुफ ऑफ कॉन्सेप्ट/मॉडल/प्रोटोटाइप आदि में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री नवप्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत हेतु ठोस प्रस्ताव योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराना।

प्रस्ताव में निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(निर्मल कुमार झा)
उप निदेशक (नियोजन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–3/विविध–05/2016– 624 पटना–15, दिनांक– 19.05.2016

प्रतिलिपि–सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग/उप निदेशक (नि0) मुख्यालय/आई0टी0मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) श्रम संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. नियोजन पक्ष के सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

18/5/16

उप निदेशक (नियोजन)
बिहार, पटना।

ARUN SIR228